

29/8/2024

~~डिजीटल वॉरंट~~ तद्विषयक न्यायन से रिपोर्ट
प्राप्त शांतिपति रहे। दिनांक 19.9.2024 को पेश
में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

19/9/2024

वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे
पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते
~~वकील उभयपक्ष~~ दिनांक 22/10/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

22.10.2024

वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दार
पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते
~~वकील उभयपक्ष~~ दिनांक 16/12/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

18.12.2024

~~डिजीटल व वकील उभयपक्ष~~ तद्विषयक
न्यायन द्वारा न्याय बरती रिपोर्ट पेश कर विशेष

कपासन
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निवेदन किया कि ज्वायन्ट के अर्थों की
पालना से आर.नं. 2795 रकबा 0.30 हेक्टर
की बजाम 1.71 हेक्टर मिले जाने का मोठे
प्रमाण मिले गये। उक्त असाधारण की रकबा
बराबरी करने पर पञ्जाब की मे हर्ष रकबा व
तक्ये मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं पाया गया
आर.नं. 2795 का रकबा 0.30 हेक्टर है होता है
व आर.नं. 2795 का रकबा बराबरी की जा
सकता है। व अन्त मे इत्ययम का निवेदन खासिय
मिले जाने का निवेदन किया। हमने सन्त
विराट का अवलोकन किया। उपखण्ड की बरफ
बुरी व पञ्जाब की अवलोकन किया। तदपीन
क्यापन के निवेदन की रबीकर किया जाकर
उक्त इत्ययम की पालना किया जाता अन्त की
होने से बराबरी की जाती है। पञ्जाब की
किसी प्रकार के अन्तर से कम हो। मास्य
वैशेष गण्य।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपूरथल जिला वित्तोडगढ़